राजस्थान-सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्मांकः प. 9(65)राज -1/2014

जयपुर, दिनांक : 05-02-201

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार एतदद्वारा निर्देश देती है कि जिला चुरू की तहसील सरदारशहर/राजगढ़/बीदासर/रतनगढ़ के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरों / ढाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा :-

क. सं.	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की जनसंख्या/क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		दूरी कि. मी. में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल	नाम	जन संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चुरू / 🤧 सरदारशहर	सोनपालसर	2508	5692.05	दाडवाना	358	500.24	2.5	5191.81
2	-"-63	्राजासर पंवारान /	2694	4618.85	ढाणी राईका	262	2018.25	5.0	2600.60
3	चुरू/ <i>ट</i> े राजगढ़	सांखण / ताल 🗸	1475	1113.83	समरपुरा	421	372.62	2.5	741.21
4	चुरू / बीदासर	बीदासर	35683	2897.1005	हरिनगर	751	1071.1121	3.0	1825.9884
5	चुरू / < रतनगढ़	मोलिसर छोटा	1003	685.57	बीका की ढाणी प्र	263	278.49	/2.0	407.08

विन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के लेखों के अलग–अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों / नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे / अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, चुरू को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

SOIL Shittlingth

आज्ञा से,

कृ०प०उ०.....

Sh. R. C. Chulets